राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

राष्ट्रीय जनता दल का मासिक मुखपत्र

अंक-36 जुलाई, 2024 सहयोग राशि 40 रुपये

इस बार

पार्टी गतिविधियां

राजद का 28वां स्थापना दिवस समारोह- डॉ. दिनेश पाल 03

राष्ट्रीय जनता दल बिहार की आवाज है- तेजस्वी प्रसाद यादव 04

सदन में प्रतिपक्ष

साम्प्रदायिक राजनीति के अंत का जनादेश- अखिलेश यादव 10

राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक मुद्दे

मोदी को हर बार आपातकाल क्यों याद आता है- अनिल जैन 13

वि.वि. पर भगवा आकांक्षाओं का कब्जा- प्रमोद मुनघाटे 16

शिक्षा और डॉ. भीमराव अम्बेडकर- डॉ. अनीश कुमार 18

सामाजिक न्याय की शक्तियां बंटी हुई क्यों हैं- कुमार बिन्दु 19

....भारत की संस्कृति का आधार- डॉ. सलमान अरशद 21

संकट में विरासत

कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय- चंद्रभूषण 22

हिन्दी संस्थाओं की पतनगाथा- अमरनाथ 33

श्रद्धांजलि

रणजीव : नदी, पानी और पर्यावरण को समर्पित...- अमरनाथ 37

बाबूलाल मधुकर : भाषा में हाशिये का स्वर- अरुण 39

कवि का पन्ना

बाबूलाल मधुकर 40

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

कवि जी/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी

जगदानन्द सिंह

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ,

पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com

एकमुश्त नहीं, सतत मदद से ही बढ़ेगा बिहार

बिहार एक बार पुनः सुर्खियों में है। इस बार इसकी धुरी न लालू प्रसाद हैं और न तेजस्वी प्रसाद यादव। जाहिर है मीडिया इस सवाल को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा और एक बार पुनः हम बिहारी यथास्थिति की नियति में ही गर्क होने को अभिशप्त होंगे। भारत के केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए नहीं बनता है। इस तरह की अर्हताएं बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों की मांगों को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् हमेशा दुहराती रही है ताकि केंद्र अपनी जिम्मेवारियों से इसी शर्त की आड़ में पिंड छुड़ाता रहे। कोई भी नियम या कानून सार्वकालिक रूप से निरपेक्ष नहीं होता। समय की कसौटी पर अगर कोई कानून नाकाफी दिखे तो उसमें संशोधन होना ही चाहिए। समय का तकाजा है कि वर्षों पहले विशेष राज्य के लिए जो कानून बने, उसमें संशोधन किया जाए ताकि पिछड़े राज्यों को विकास का मौका मिले। आखिरकार पिछड़े राज्यों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार का भी कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं! फिर यदि केंद्र सरकार ही किसी नियम कानून की आड़ में राज्यों के साथ विभेद करती रहे तो इससे उसकी मंशा उजागर होती है कि वह किसी मुल्क को विकास के किस रास्ते ले जाना चाहती है और यह भारत जैसे विशाल देश में राज्य के संघीय चरित्र पर भी कुठाराघात है। मालूम हो संघवाद को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

जो राज्य वर्षों से औद्योगिक विकास से महरूम रहा हो, जहां निजी क्षेत्र का न के बराबर पूंजी निवेश हो, जो लगातार विकट आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, जिसका आंतरिक राजस्व बहुत सीमित हो, जो बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझता रहा हो, अगर आप उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे और साथ ही समय-समय पर विशेष पैकेज नहीं देंगे, तो फिर संघीय सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? यह तो उपनिवेशवादियों की तरह ही शोषण का घृणित चेहरा है जो केंद्र सरकारें हर दौर में बिहार को आंतरिक उपनिवेश बनाकर करती रही हैं। 1928 में मेस्टन कमिटी बनी थी। औपनिवेशिक शासकों ने इसके जरिये राज्यों के संसाधनों से केंद्र को सहयोग करने का कुटिल तरीका

निकाला था, वह आजाद भारत की केंद्र सरकारों द्वारा भी बदस्तूर जारी है। उस समय भी बिहार को पीछे छोड़ दिया गया था। तर्क दिया गया था कि बिहार के पास संसाधन ही नहीं है तो इसे कैसे मदद की जाए। तब से यही तर्क आज तक केंद्र सरकारों द्वारा दुहराये जाते रहे हैं। एक समय था जब केंद्रीय संस्थाओं की अपनी स्वायतता थी, लेकिन भाजपा शासनकाल में ये तमाम केंद्रीय संस्थाएं सरकार की कठपुतली हो गई हैं। यहां न किसी नीति आयोग की कोई साख है, न निर्वाचन आयोग की। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय तो पूरी तरह से भाजपा शासन के पहले ही कार्यकाल में नष्ट-भ्रष्ट हो ही गई हैं। ऐसे में बिहार जैसे राज्य अपने विकास का, अपने भविष्य का ब्लू प्रिंट गढ़ पाएंगे, इसकी संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आती।

आजाद भारत में पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उतराखंड और तेलांगना सरीखे 11 राज्यों को यह दर्जा दिया गया। लेकिन बिहार जैसे कई राज्य लगातार पिछड़ेपन का दंश झेलते रहे, लेकिन उनकी कभी सुनी नहीं गई। बिहार बंटबारे के बाद यह राज्य पूरी तरह चुनौतियों से घिर गया, क्योंकि जितने कल कारखाने और कोल माइन्स थे वह झारखंड के हिस्से चले गये और अचानक बिहार राजस्व के बड़े हिस्से से वंचित हो गया। अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जमीन की स्थायी बदोबस्ती ने इसे महज लगन वसूली के केंद्र में बदल दिया। और भाड़ा सामान्यीकरण ने तो इसके आगे विकास के सारे द्वार ही बंद कर दिये। लम्बे समय से जड़ जमाये सामंतवाद और जातिवाद ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी। इस कारण यहां औद्योगिक या कृषि विकास की कोई परम्परा विकसित नहीं हुई। आजादी के बाद जो चीनी मिलें और कई तरह के कल-कारखाने थे, 1967 से 1990 तक के लंबे अस्थिर सरकारों के दौर में पूरी तरह नष्ट हो गए। यहां कृषि का हाल भी बहुत बुरा है। नीतीश सरकार ने 2005 में ही कृषि मंडी खत्म कर दी। फर्टिलाजर, सिंचाई व किसानों के समर्थन मूल्य के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। सरकार ने भवन और पथ निर्माण को ही विकास का एकमात्र पैमाना मान लिया। इन कामों का असर हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पथ निर्माण से गाड़ियां चलने लगीं, सड़क ने खर्चा बढ़ा दिया, लेकिन आमदनी का कोई नया जरिया नहीं विकसित हुआ, आमदनी और रोजगार के साधन नहीं हैं, मगर खर्च बढ़ते जा रहे हैं। सम्यक विकास तो तब होता जब उपभोग से ज्यादा उत्पादन पर ध्यान दिया जाता। यहां न हम समुचित शिक्षा के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ कर सके, न पलायन की समस्या का हल कर पाये। जिस नौकरशाही और सवर्ण वर्चस्व को लालू प्रसाद ने गहरे कशमकश के बाद जनता की कसौटी पर सीधा किया था, नीतीश कुमार ने उसे बेलगाम छोड़ दिया। परिणाम आज पूरा बिहार भुगत रहा है। भ्रष्टाचार और लालफीताशाही इतनी प्रबल हो उठी है कि यहां जन प्रतिनिधि की भी हैसियत एक चपरासी की हो गई है। आज हम विकास के सूचकांक पर हर मामले में यूं ही नहीं फिसड्डी साबित हुए हैं। पिछले दो दशकों में बिहार विकास की शोर में सिर्फ नौकरशाही ही पनपी कोई ठोस विकास का काम नहीं हुआ। बिहार में लूट की जो सर्वव्यापी संस्कृति नीतीश कुमार ने विकसित कर दी है वह इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण हैं। सच तो यह है कि एनडीए बिहार के विशेष राज्य के लिए कभी गंभीर रहा ही नहीं और न ही कभी इनके पास बिहार के विकास की कोई व्यवस्थित रूपरेखा रही। औद्योगिक विकास करेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, कितनी राशि चाहिए, उनका उपभोग किन-किन क्षेत्रें में किया जाएगा, कुछ तो ब्लू प्रिंट हो। 2000 में भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने बिहार को एक भी पैसा नहीं मिले इसकी आवाज मुखर की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इसकी जड़ भी नीतीश कुमार खुद ही हैं, क्योंकि लगातार एनडीए सरकार में साझीदार होकर भी उन्होंने इस मुद्दे को बिहार की अस्मिता का सवाल नहीं बनाया बल्कि अपना 'पेट एजेंडा' बना कर इसे पतित कर दिया है। और अब तो थोड़ा-बहुत विशेष पैकेज लेकर अगर-मगर करते हुए इस मुद्दे की तिलांजलि कर चुके हैं।

2000 में बिहार का विभाजन हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाते हुए आर्थिक रूप से जर्जर बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उनके पहले लालू प्रसाद ने लगातार इस मांग को अपने मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर बाद के दिनों तक राज्य विधान मंडल, लोकसभा और राज्यसभा के मंच से भी मुखर ढंग से उठाया, लेकिन इन सबको 'जंगलराज' के छदम् नैरटिव लाकर अनदेखी की जाती रही। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने इस मामले को बिहार की अस्मिता से जोड़कर इसे एजेंडे के बतौर पटना से दिल्ली तक अभियान तो चलाया, लेकिन इन सबके पीछे उनका कोई बिहारी प्रेम नहीं था। सच तो यह है कि वह इसे महज अपने राजनीतिक कैरियर के लिए जमीन के बतौर तैयार कर रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए उनकी कोई मंशा थी ही नहीं। यह अकारण नहीं कि एक दौर में विशेष राज्य का दर्जा बिहार का सर्वदलीय मुद्दा बनने की ओर अग्रसर भी हुआ तो नीतीश जी ने उसे जदयू और स्वयं का मुद्दा बना हड़प लिया और अखिल भारतीय स्तर पर जो बिहारी अस्मिता का परिवेश निर्मित हुआ था, जिसमें माननीय लालू प्रसाद की महती भूमिका थी, वह सब नीतीश कुमार की वैयक्तिक महत्वकांक्षा की भेंट चढ़ गया। यहां यह कहना आवश्यक होगा कि नीतीश कुमार और उनकी मंडली को इस तरह का पैकेज जिसमें अधिसंरचना निर्माण भरा हुआ है, बहुत सूट करता है, क्योंकि इसमें खुली लूट की भरपूर गुंजाइश रहती है। बिहार के ऐतिहासिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसे एकमुश्त नहीं, सतत मदद की जरूरत है। सिर्फ पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा ही हमारे बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अरुण आनंद